



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 3096/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2026

दिनांक - 03.09.2026

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
भामा विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 01.09.2026 एवं 02.09.2026 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 205वीं सभा बैठक दिनांक 03.09.2026 में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	FACULTY OF MANAGEMENT	BBA	20000	17000	3000	20000
2	FACULTY OF MANAGEMENT	MBA	55000	40800	7200	48000
3	FACULTY OF ENGINEERING	DIPLOMA ENGINEERING	44000	29750	5250	35000
4	FACULTY OF ENGINEERING	B TECH	59000	42500	7500	50000
5	FACULTY OF ENGINEERING	M TECH	71500	55250	9750	65000
6	FACULTY OF PHARMACY	DPH	120000	51000	9000	60000
7	FACULTY OF PHARMACY	BPH	85000	51000	9000	60000
8	FACULTY OF PHARMACY	MPH	85000	70550	12450	83000

रक्षक
03/09/2026

// 02 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

9	FACULTY OF COMPUTER APPLICATION	DCA	11000	9350	1650	11000
10	FACULTY OF COMPUTER APPLICATION	PGDCA	16500	14025	2475	16500
11	FACULTY OF COMPUTER APPLICATION	BCA	19000	16150	2850	19000
12	FACULTY OF COMPUTER APPLICATION	MCA	32000	27200	4800	32000
13	FACULTY OF COMMERCE	B.COM	20000	17000	3000	20000
14	FACULTY OF COMMERCE	M.COM	30000	25500	4500	30000
15	FACULTY OF ARTS	BA	11000	9350	1650	11000
16	FACULTY OF ARTS	MA	16500	14025	2475	16500
17	FACULTY OF SCIENCE	B.Sc	16500	14025	2475	16500
18	FACULTY OF SCIENCE	M.Sc	22000	17000	3000	20000
19	FACULTY OF AGRICULTURE	DIPLOMA AGRICULTURE	36400	30940	5460	36400
20	FACULTY OF AGRICULTURE	B.Sc AGRICULTURE	66000	51000	9000	60000
21	FACULTY OF EDUCATION	D.Ed.	50000	34000	6000	40000
22	FACULTY OF EDUCATION	B.Ed	75000	42500	7500	50000
23	FACULTY OF EDUCATION	M.ED	50000	42500	7500	50000
24	FACULTY OF EDUCATION	B.Sc B.Ed	50000	23800	4200	28000
25	FACULTY OF LIBRARY SCIENCE	B.LIB	25000	21250	3750	25000
26	FACULTY OF LIBRARY SCIENCE	M.LIB	30000	25500	4500	30000
27	FACULTY OF HOTEL MANAGEMENT	BHMCT	57600	48960	8640	57600
28	FACULTY OF DENTAL SCIENCE	BDS	198000	168300	29700	198000
29	FACULTY OF DENTAL SCIENCE	MDS	592500	488750	86250	575000
30	FACULTY OF LAW	LLB	38000	32300	5700	38000
31	FACULTY OF LAW	BA LLB	38000	23800	4200	28000

उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।



JKW

// 03 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
7. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2026-27 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)


03/09/2026
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक 3097 / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ / 2026

भोपाल, दिनांक 03.09.2026

प्रतिलिपि—

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलगुरु, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।


सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

